न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 34/2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
किशोरलाल पुत्र पूनाराम जाति वाल्मिकी निवासी डोडीयाना तहसील रियांबडी जिला नागौर हाल निवासी हरिजन बस्ती, रामद्वारा गली, जुनी बागर, जोधपुर जिला जोधपुर जरिये आम मुख्त्यार मोहित पुत्र किशोरलाल जाति वाल्मिकी निवासी हरिजन बस्ती, रामद्वारा गली, जुनी बागर, जोधपुर		1 धन्नाराम पुत्र लिछमणराम जाति मेहत्तर वाल्मिकी निवासी ग्राम डोडीयाना तहसील रियांबडी जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत डोडीयाना जरिये सरपंच, ग्राम डोडीयाना तहसील रियांबडी जिला नागौर। 3 ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत डोडीयाना तहसील रियांबडी जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री श्याम कुमार व्यास अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 03.01.2025

1– यह निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत डोडियाना द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2021 पट्टा संख्या 16, मिसल संख्या 36, से असंतुष्ट होकर दिनांक 23.06.23 यह निगरानी प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 06.07.2023 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री शेलेन्द्र सिंह कालवी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में पटटा सं. 16 व 01 की फोटोप्रति, लिखा पढी दिनांक 18.11.97 की फोटोप्रति, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डोडियाना को लिखे पत्र दिनांक 10.05.22 की फोटोप्रति, आम मुख्तियारनामा की फोटोप्रति, एफआईआर दिनांक 20.01.23 की फोटोप्रति, चार्जशीट दिनांक 05.07.23 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने समर्थन में न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना के प्रकरण संख्या 53/22 की ऑडरशीट दिनांक 22.12.22 से 19.11.24 तक की फोटोप्रति, न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश को प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी है कि –

2(1)–निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश विधि के प्रतिपादित सिद्वांतों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों एवं मौके की स्थिति से भिन्न पारित किया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव/आदेश राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम 1996 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बगैर पारित किया गया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)–अप्रार्थी संख्या 2 ने जिस भूमि के संबंध में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 16 दिनांक 20.08.2021 को ग्राम पंचायत डोडीयाना द्वारा जारी किया गया है, इस भूमि का पट्टा संख्या 1 दिनांक 18.04.1971 को निगरानीकर्ता के पिता के नाम से पूर्व से ही जारी किया हुवा है। ऐसी स्थिति में पुनः उसी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का पट्टा जारी करने का ग्राम पंचायत डोडीयाना को किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं था। किन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 2 ने अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से जो प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 20.08.20021 को पारित किया है वह अवैध एवं विधि विरूद्व होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

03/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(4)–विवादित भूमि का एक पट्टा संख्या 1 निगरानीकर्ता के पिता पूनाराम के नाम से ग्राम पंचायत डोडियाना द्वारा दिनांक 18.04.1971 को जारी किया गया था, उस पट्टे की पुश्त पर भूमि का नक्शा भी बना हुआ है, जिसके अनुसार 13 गज X 42 गज भूमि का पट्टा पूनाराम के नाम जारी किया गया था, तत्पश्चात उक्त पट्टा सुदा भूमि का यद्यपि कानूनन भौतिक विभाजन नहीं हुआ था, किन्तु निगरानीकर्ता व उनके तीनों भाईयों ने आपसी सहमति से उक्त पट्टा सुदा भूमि का मौके पर बंटवाडा दिनांक 18.11.1997 को कर लिया था, जिसकी एक लिखापढी भी उसी दिन निष्पादित की गई थी, उक्त लिखापढी पर स्व. पूनाराम व उनके चारों पुत्रों ने अपने हस्ताक्षर भी किये, तब से ही पूनाराम के चारों पुत्र उक्त लिखापढी के अनुसार मौके पर अलग अलग काबिज हो गये। जिसका नक्शा लिखापढी दिनांक 18.11.1997 में दर्शित किया गया है। उक्त तथ्यों की जानकारी लिखापढी के दिन से ही स्व. पूनाराम जी के सभी वारिसान को भली भांति थी, उसके बावजुद भी अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पिता लक्ष्मणराम के देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत डोडियाना से मिलावट कर अपने अकेले के नाम निगरानीकर्ता के बंट की भूमि का पट्टा जारी करवा लिया, जो पट्टा प्रस्ताव/आदेश पूर्णतया अवैध एवं विधिविरूद्व ढंग से पारित किया होने से काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)–अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रस्ताव संख्या 2 के तहत जो पट्टा जारी किया है, वह राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 कि धारा 157 के तहत अप्रार्थी संख्या 1 का विवादित भूमि पर 50 वर्ष पुराना कब्जा मानते हुए जारी किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की आज दिन उम्र 35 वर्ष है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 का 50 वर्ष पुराना कब्जा मानकर अवैध व विधिविरूद्व ढंग से राजस्थान ग्राम पंचायत अधि. 1996 में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की अवहलेना करते हुए, जो निरानीधीन प्रस्ताव/आदेश पारित किया है, वह कालिब निरस्त किए जाने योग्य है।

2(6)–विवादित भूमि निगरीकर्ता की पट्टा सुदा भूमि है तथा पूनाराम के चार जायंदा पुत्र भी हुए जिनमें से राधेश्याम की मृत्यु फरवरी 2023 में हुई, जिनके उत्तराधिकारी मौजुद है, इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 का भाई घनश्याम व बहन बाया एवं माता भंवरी भी मौजुद है, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत डोडीयाना को उक्त भूमि का पट्टा जारी करने से पूर्व स्व. पूनाराम जी के सभी उत्तराधिकारियों के विधिवत नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई अग्रिम कार्यवाही करनी चाहिए थी, किन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 ने स्व. पुनाराम के वारिसान को बिना सूचित किये अवैध एवं विधिविरूद्व ढंग से जो पट्टा प्रस्ताव/आदेश पारित किया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)–अप्रार्थी संख्या 2 ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 व 1996 में पट्टा जारी करने के संबंध में वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बगैर अवैध एवं विधिविरूद्व ढंग से पट्टा प्रस्ताव/आदेश पारित किया है, जो काबिल निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)–अप्रार्थी संख्या 2 ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पारित पट्टा प्रस्ताव/आदेश के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से बिना आज्ञप्ति विज्ञप्ति जारी किये हुए एवं बिना मौका निरीक्षण किये तथा सार्वजनिक रूप से सूचना प्रकाशित करवाये बिना, मात्र पंचायत कार्यालय में बैठकर अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट कर अवैध एवं विधि विरूद्व ढंग से निगरानीधीन प्रस्ताव/आदेश दिनांक 20.08.2021 पारित कर दिया, जिसकी जानकारी निगरानीकर्ता को पूर्व में नहीं हो सकी, किन्तु अभी कुछ समय पूर्व जब अप्रार्थी संख्या 1 ने निगरानीकर्ता के बंट की भूमि पर निर्माण कार्य शुरू किया, तब निर्माण की सूचना मिलने पर निगरानीकर्ता का पुत्र गांव आया तथा अप्रार्थी संख्या 1 को निगरानीकर्ता के बंट की भूमि पर निर्माण कार्य करने बाबत पूछताछ की, तब अप्रार्थी संख्या 1 ने विवादित भूमि का पट्टा अपने नाम जारी होना बताया, तब अप्रार्थी संख्या 2 के यहां से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा व पट्टा पत्रावली की मांगी की गई, किन्तु उन्होंने नकल नहीं दी, तत्पश्चात निगरानीकर्ता के पुत्र ने सूचना का अधिकार के तहत विकास अधिकारी व जिला कलक्टर नागौर के मार्फत नकल की मांग की, किन्तु उसके बावजूद भी निगरानीकर्ता को नकल प्राप्त नहीं हुई।

3–अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के नियमों की पूरी पालना की है। उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपना कर पंचो की समिति गठित कर मौका निरीक्षण करवा कर विधिवत आपति नोटिस सूचना चस्पा करके व किसी प्रकार की आपति नहीं आने पर नियमानुसार पटटा जारी किया था। निगरानीकर्ता ने विधि सम्मत पट्टे को नियम व विधि विरूद्व होने के मिथ्या अभिवचन दर्ज किये है। निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

03/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत डोडीयाना का प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 20.08.2021, पट्टा संख्या 16, मिसल संख्या 36, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। पूर्व में ग्राम पंचायत डोडीयाना द्वारा पट्टा संख्या 1 दिनांक 18.04.1971 को निगरानीकर्ता के पिता के नाम से जारी किया हुआ था, तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा उसी जायगा का अप्रार्थी संख्या 01 के नाम पुनः पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को किसी भी जायगा का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात उसी जायगा का पुनः पट्टा जारी करने का अधिकार नहीं है। अतः ग्राम पंचायत ने पट्टा संख्या 16 दिनांक 20.08.2021 को विधिविरूद्व जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5–उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत डोडियाना द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के हक में जारी पट्टा संख्या 16 दिनांक 20.08.2021 व इससे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रस्ताव जैर निगरानी निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/1/25

(चम्पालाल जीनगर)
अपर जिला कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर